महत्वपूर्ण

संख्या : 58 / XVII(1)-2 / 2006-06(09) / 2006

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।

समाज कल्याण अनुभाग-2

देहरादून : 18 फरवरी, 2006

विषयः दृष्टि विकलांगों को सहायक उपकरण / यंत्र उपलब्ध कराए जाने हेतु जनपदों को प्रदेश में संचालित तीनों जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्रों के मध्य विभाजित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

ऐसा अनुभव किया जा रहा है कि प्रदेश के जनपदों, जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्रों (District Disability Rehabilitation Centres) तथा दृष्टि विकलांगों को सहायक उपकरण / यंत्र उपलब्ध कराने हेतु उत्तरदायी राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान (N.I.V.H.), देहरादून (नोडल ऐजेन्सी) के मध्य परस्पर समन्वय एवं संवाद की कमी है जिस कारण वांछित उददेश्यों की पूर्ति सम्भव नहीं हो पा रही है।

अतः प्रदेश में स्थापित / क्रियाशील तीनों जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्रों की अधिकारिता को प्रदेश के 13जनपदों के मध्य निम्नानुसार विभाजित किए जाने का निर्णय लिया गया है :-

1. जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्र, अल्मोड़ा – जनपद अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चम्पावत, नैनीताल, ऊधमसिंह नगर, चमोली।
2. जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्र, टिहरी – जनपद टिहरी गढवाल, रूद्रप्रयाग, उत्तरकाशी।
3. जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्र, हरिद्वार – जनपद हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी गढवाल।

तत्क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दृष्टि विकलांगों को सहायक उपकरण / यंत्र उपलब्ध कराने हेतु उक्तानुसार अपने जनपद से संबंधित जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्रों तथा नोडल ऐजेन्सी से सम्पर्क / समन्वय करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव।

संख्या : 58(1) / XVII(1)-2 / 2006 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित :-

1. आयुक्त, कुमाऊं / गढवाल मण्डल, नैनीताल / पौड़ी।
2. निदेशक, समाज कल्याण, उत्तरांचल, हल्द्वानी (नैनीताल)।
3. विकलांगजन आयुक्त, उत्तरांचल, देहरादून।
4. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तरांचल।
5. समन्वयक / प्रभारी, जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्र, अल्मोड़ा / टिहरी गढवाल / हरिद्वार द्वारा संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी।
6. निदेशक, राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान (N.I.V.H.), देहरादून।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(धीरेन्द्र सिंह दताल)
उपसचिव।

राधा रतूड़ी,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण, उत्तरांचल,
हल्द्वानी (नैनीताल)।

समाज कल्याण अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 27 जनवरी, 2006

विषय: विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु दुकान निर्माण योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2005-06 में अनुदान संख्या-30 में विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु दुकान निर्माण योजनान्तर्गत रू. 3.20लाख (रू. तीन लाख बीस हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों के अधीन व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1. आय-व्ययक द्वारा व्यवस्थित उक्त धनराशि में से केवल स्वीकृत चालू योजनाओं पर ही व्यय किया जाए और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नये कार्यों के कार्यान्वयन के लिए नही किया जाए।
2. उक्त आवंटित धनराशि किसी ऐसे मद पर व्यय करने से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका /बजट मैनुवल के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाए।
3. मितव्ययता के संबंध में नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए।
4. अप्रयुक्त धनराशि बजट मैनुअल के प्राविधानों के अन्तर्गत समय सारणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

2. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005-06 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-30 के 'आयोजनागत पक्ष' के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-101-विकलांग व्यक्तियों का कल्याण-02-अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेंट प्लान-06-विकलांग व्यक्तियों को पुनर्वास हेतु दुकान निर्माण योजना" के मानक मद "20-सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता" की सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामे डाला जाएगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या : 10|8/XXVII(3)/2006 दिनांक 13फरवरी, 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव।

क्रमशः...

संख्या : 98 (1)/XVII(1)-2/2006 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तरांचल।
3. निदेशक, कोषागार, उत्तरांचल, देहरादून।
4. आयुक्त, कुमाऊं/गढवाल मण्डल, नैनीताल/पौड़ी।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
6. कोषाधिकारी, हल्द्वानी (नैनीताल)।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग–3, उत्तरांचल शासन।
9. बजट राजकोषीय संशाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
10. समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, सचिवालय, देहरादून।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

18/4/06

(स्नेहलता अग्रवाल)
अपर सचिव।

180206016